सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार

प्रेस विज्ञप्ति

संख्या– 857
29/7/2010

जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के पी0आई0ओ0 को आर्थिक दण्ड

पटना, 29 जुलाई :: राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त श्री पी0एन0नारायणन ने लोक सूचना पदाधिकारी, जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, छपरा पर आर्थिक दण्ड लगाने का निर्णय लिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचना आयुक्त ने आवेदक श्री अरूण कुमार शर्मा को सूचना नहीं देने तथा आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जबाब नहीं देने के एवज में दिनांक 2–10–09 के प्रभाव से 19–7–10 तक के लिए 25000 रु0 का आर्थिक दण्ड निर्धारित किया है। साथ ही उन्हें निदेशित किया है कि आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना को 31–10–10 के पूर्व देकर इस आशय की सूचना से आयोग को भी अवगत करायें।

ज्ञातव्य है कि इस मामले की अगली सुनवाई 11–11–10 को साढ़े दस बजे होगी, जिसमें पी0आई0ओ0 अधिनियम की धारा 20 (2) के तहत अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

––––––––